मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1101/चार/ब-1/96 भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 1996

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :- पुनर्विनियोजन एवं बचतों के समर्पण संबंधी नियम.

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम 11 (तीन व चार) के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन तथा लेखा परीक्षा में प्रवर्तित की जाने वाली संसूचियां लेखा परीक्षा प्राधिकारों को वित्त विभाग द्वारा संसूचित किये जाने का प्रावधान है. साथ ही इन प्रयोजनों के लिये विभागों को अधिकार प्रत्यायोजित करने के लिये वित्त विभाग प्राधिकृत है. इन्हीं अधिकारों के तहत वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 421/चार/ब-1/91, दिनांक 1-4-1991 द्वारा पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के अधिकार उक्त परिपत्र की कण्डिका-4 (क ख ग एवं घ) की शर्तों के अनुसार समस्त विभागों को सौंपे गये हैं. उक्त परिपत्र के बाद पुनर्विनियोजन के संबंध में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 73/चार/ब-1/94, दिनांक 31-1-1994, परिपत्र क्रमांक 745/चार/ब-1/94 दिनांक 4-7-1994 तथा परिपत्र क्रमांक 1110/चार/ब-1/94 दिनांक 10-11-1994 द्वारा अतिरिक्त निर्देश भी जारी किये गये हैं. उक्त समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए पुनर्विनियोजन एवं बचतों के समर्पण के संबंध में निम्न शर्तों के साथ अधिकार प्रभारी मंत्री को सौंपे जाते हैं :-

(1) वेतन एवं मजदूरी मद में बचत में से किसी भी अन्य मद में पुनर्विनियोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.

(2) कार्यालय व्यय के स्वीकृत बजट में किये गये प्रावधान बढ़ाने के लिये किसी भी परिस्थिति में पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा.

(3) ऐसे व्यय, जो राजस्व उद्ग्रहण से संबंधित हैं उनमें बचत होने पर किसी अन्य व्यय जो राजस्व प्राप्ति से संबंधित नहीं है, में पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा.

(4) वेतन एवं मजदूरी से भिन्न किसी मद से वेतन एवं मजदूरी के मद में पुनर्विनियोजन तब तक नहीं किया जावेगा जब तक कि ऐसा पुनर्विनियोजन वर्ष के दौरान स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, अंतरिम राहत, बोनस आदि प्रयोजनों के लिये आवश्यक न हो.

(5) केन्द्र क्षेत्रीय एवं शतप्रतिशत बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं से कोई भी राशि अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित नहीं की जा सकेगी.

(6) केन्द्र प्रवर्तित एवं आंशिक रूप में बाह्य स्रोतों से सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये प्रावधानित राशि के लिये सहायता प्राप्त न हो सकने की स्थिति में केवल उन योजनाओं में राज्यांश की सीमा तक ही अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजन किया जा सकेगा.

(7) आदिवासी उप योजना (मांग संख्या-41, 42, 75, 82 एवं 83) व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (मांग संख्या-64, 68, 76, 84 एवं 85) के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन हेतु आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के परामर्श से ही पुनर्विनियोजन किया जा सकेगा.

(8) यदि किसी प्रकरण में अलग से बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है तथा स्वीकृत बजट प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय करने की शर्त के साथ वित्तीय स्वीकृति दी जाती है तो स्वीकृति ज्ञाप जारी करने के पूर्व पुनर्विनियोजन द्वारा उक्त मद में धनराशि उपलब्ध कराने के पश्चात ही स्वीकृति जारी की जाय.

(9) एक ही मांग संख्या के अन्तर्गत राजस्व व्यय से राजस्व व्यय मद में तथा पूंजीगत परिव्यय मद से पूंजीगत परिव्यय में ही पुनर्विनियोजन किया जा सकेगा.

(10) मतदेय से भारित, भारित से मतदेय, आयोजनेत्तर से आयोजना एवं आयोजना से आयोजनेत्तर तथा एक मांग संख्या से दूसरी मांग संख्या के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा.

(11) किसी भी मांग संख्या के अन्तर्गत रुपये 10 लाख की सीमा तक का पुनर्विनियोजन विभागों द्वारा किया जा सकेगा. रुपये 10 लाख से अधिक के पुनर्विनियोजन वित्त विभाग की सहमति उपरान्त ही जारी किये जा सकेंगे.

(12) पुनर्विनियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा आदेश में निम्नानुसार प्रमाण-पत्र अंकित किया जावेगा :-

''प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोजन प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आता है और इसमें राज्य शासन द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है.''

प्रभारी मंत्री को सौंपे गये अधिकार वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन से विभाग के अधिकारी या अधिकारी वर्गों को प्रत्यायोजित किये जा सकते हैं.

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माने जावेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-
(स्नेहलता श्रीवास्तव)
अपर सचिव, वित्त.

पृष्ठांकन क्रमांक 1102/चार/ब-1/96

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 1996

प्रतिलिपि :-

(1) सचिव/सैनिक सचिव राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश/सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर/नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल/अवर सचिव (स्थापना)/(अधीक्षण)/(अभिलेखाकार), मध्यप्रदेश शासन/सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल/लेखाधिकारी मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.

समस्त वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/कोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन के लिये अग्रेषित.

(2) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

(3) सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, सचिवालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

(4) निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता/-
(आर. एन. पचौरी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.